न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
935 / 2024	28.11.2024	19.12.2024

उनवान

1. शांति भील पत्नी कल्याण भील निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीया

बनाम

1. बाबू खां पिता हजारी खां मेवाती निवासी श्रीपुरा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा।
2. आजाद खां पिता बाबू खां मेवाती निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
3. शेख मुस्ताक खां पिता बाबू खां मेवाती निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. सदाम हुसैन मेवाती पिता बाबू खां मेवाती निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
5. असरफ खां पिता बाबू खां मेवाती निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा (राज०)

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री कैलाश राव
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 5 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गेता पारोली पटवार हल्का गेगा का खेडा भू०अ० क्षै. आकोला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा राज० में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजियात के खाता संख्या नये 404 पुराने 11 है खसरा संख्या 2/4 क्षेत्र 1.0803 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 5 उपस्थित नहीं। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्राथीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार कोटडी/नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम गेता पारोली पटवार हल्का गेगा का खेडा भू०अ० क्षै. आकोला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा राज० में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजियात के खाता संख्या नये 404 पुराने 11 है खसरा संख्या 2/4 क्षेत्र 1.0803 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कोटडी/नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा